न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चांवती बनाम भोलूराम मु.नं.– 67/23 किस्म – T.D.	
	30.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से ~~न्यायिक कार्य नहीं हो सका~~। आदेश प्रा.पत्र T.D. लिखवाया जाना शेष है। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.D. दिनांक 24.6.25 को पेश हो।	
	24.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
67/2023	31.10.2023	24.06.2025

बउनवान

1. चावंती पत्नी स्व. रामकिशोर मीना, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, हाल निवासी बीएफ–1 सतलज अपार्टमेंट सेक्टर 2, विद्याधर नगर जयपुर।

..प्रार्थी

बनाम

1. भोलूराम पुत्र स्व. हटीला, निवासी ग्राम रींदली नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. छोटेलाल पुत्र स्व. हटीला, निवासी ग्राम रींदली नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. सूकाराम पुत्र स्व. हटीला, निवासी ग्राम रींदली नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी– शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रींदली, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. नई 56 खसरा सं. 299 रकबा 0.11 हैक्टे., 301 रकबा 0.24 हैक्टे., 304 रकबा 0.41 हैक्टे., 305 रकबा 0.05 हैक्टे., 307 रकबा 0.61 हैक्टे., कुल किता 5, कुल रकबा 1.42 हैक्टे. में प्रार्थी ने गिर्राज पुत्र स्व. भौरया एवं खिलाडी पुत्र स्व. परसादी जाति मीना, निवासी रींदली, नांगल चारण तहसील मण्डावर जिला दौसा से जरिये विक्रय विलेख क्रय दिनांक 26.04.2007 को किया था। प्रार्थी तभी से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त में से गिर्राज पुत्र भौरया से 1/4 हिस्सा तथा खिलाडी पुत्र परसादी से 1/4 भाग क्रय किया था। प्रार्थी उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से के 1/2 भाग पर वर्तमान काबिज काश्त एवं दाखिल है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं नहीं होने के कारण पक्षकारान के बीच विवाद बना हुआ है और प्रार्थी को अपने हिस्से पर काश्त करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी के हिस्से की कुछ आराजीयात के भाग पर अप्रार्थी 1 लगायत 3 ने अवैध कब्जा भी कर रखा है। प्रार्थी जब भी अपने हिस्से पर काश्त करती है तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को परेशान करते हैं। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की आराजी में दिनांक 07.10.2023 को गई तो वहीं पर मौजूद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कहा कि जितने हिस्से पर हमने अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर हम पक्का निर्माण करने वाले हैं, आगे की फसल की हम तुम्हें इस भूमि पर बुवाई नहीं करने देगें। इसलिए दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात, स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से कहा कि इस भूमि का सहमति से विधिवत बंटवारा करवा कर अपनी–अपनी जगह काबिज हो जाओ परंतु अप्रार्थीगण तकास्मा कराने को तैयार ही नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी को दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा विवादित आराजीयात पर बिना विधिवत तकास्मा किये राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन, नामांतरण में बदलाव की कार्यवाही ना करें, खाम व पुख्ता निर्माण ना करने, प्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने, प्रार्थी के द्वारा बोई गई फसल को काटते समय झगडा–फसाद ना करने, किसी दीगर व्यक्ति को रहन–बय न करने के लिये पाबंद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पेश किये गये किसी भी प्रकार का रहननामा, बयनामा, विक्रयपत्र आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी, पंजीयन करने से तथा भूमि अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली ना करें और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. *व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम रींदली पटवार हल्का रींदली तहसील बैजूपाडा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 की सहखातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सह खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण बिना विभाजन अच्छी भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम रींदली पटवार हल्का रींदली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 299, 301, 304, 305, 307 कुल रकबा 1.42 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें और ना ही रहन विक्रय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)